

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that in St. Jopseph's International School Dholpur (Rajasthan) Ramp And Fire Extinguishers are proper in school building and the Fire extinguishers all are in working mode .

(Signature)

2-2-22

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर-चरिद, धोलपुर (राज०)

District Fire Officer

Dholpur (Raj.)

कार्यालय अग्निशमन नगर परिषद धौलपुर

क्रमांक:-अग्नि/2021-22/16331

दिनांक:- 2/2/22

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रबंधक सेंट जोसेफ इन्टरनेशनल स्कूल स्थित आसियाना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर जिरिये एस.के. ऐजुकेशनल टेक्निकल एण्ड सोशल डवलपमेन्ट संस्था द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के साथ एक वर्षीय अस्थाई अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. विद्यालय भवन की छत के ऊपर स्थित टैंक में 30 हजार लीटर पानी का स्टोक हमेशा रखना होगा।
2. विद्यालय भवन के रूफ वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिडकाव (प्रेसर) हेतु ट्रेक पंप 450 एलपीएम जॉकी पंप 180 एलपीएम इलेक्ट्रिक पंप से हॉजरील कनेक्ट कर फ्लोर वाइस फिटिंग करानी होगी।
3. विद्यालय भवन प्राथमिक अग्निशमन उपकरण एस्टगियुसर आईएस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
4. एस्टगियुसरों को एक्सपायरिंग दिनांक से पहले पुनः रिफिलिंग अवश्य करावेगें।
5. भवन में फायर अलार्म सिस्टम आवश्यक रूप से लगाना होगा।
6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फायर सेंपटी नियमों की पालना सुनिश्चित रूप से करनी होगी।
7. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की जांच फायर अधिकारी से करानी होगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण करावेगें। नवीनीकरण नहीं कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जावेगा व नियमानुसार शास्ती देय होगी।
8. भवन के अन्दर जगह-जगह पर निशान (चिन्ह) लगाने होंगें।
9. भवन के अन्दर ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए।
10. भवन के अन्दर फायर बकेट स्टैण्ड में पांच बकेट रेत से भरी हुई हमेशा लगाये रखना जरूरी होगा।
11. भवन के गेट के पास वाटर हाईडेन्ट स्थापित रखना होगा। जिसका कनेक्शन प्रेसर हॉजरील से होगा।
12. फायर संसाधनों को सुचारु रूप से चलाने एवं रख-रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
13. भवन का नक्शे का फ्लोरोसेन्ट अक्षरों में साइन बोर्ड स्थापित कराना होगा।
14. भवन में इलेक्ट्रिक पैनल के पास एवं जनरेटर रूम के पास Co2 एस्टगियुसर आईएसआई क्षमता 9 केंजी आवश्यक रूप से फिट कराने होंगें।
15. भवन में नया निर्माण स्वीकृति उपरान्त ही करवाया जावेगा जिसका अग्निशमन अधिकारी से निरीक्षण उपरान्त नेशनल विलिडिंग कोड के अनुसार फायर उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
16. भवन के स्टोर में मनीला रोप 1 इंच मोटा 100 फीट लम्बा एवं सर्च लाईट एवं लैंडर की व्यवस्था हमेशा तैयार रखनी होगी।
17. भवन में फायर संसाधनों के अभाव/खराबी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबन्धक/मालिक की होगी।

उपरोक्तानुसार प्रबंधक सेंट जोसेफ इन्टरनेशनल स्कूल स्थित आसियाना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर के भवन हेतु एक वर्षीय अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्तों के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल विलिडिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जावेगें तथा उपरोक्त शर्तों को जारी करने की दिनांक से छः माह में पूर्ण कर लिया जावेगा। अन्यथा यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।


अभिषेक
नगर परिषद धौलपुर
2022